संख्या- 159/2015/3543/41-15-157 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2015**

विषय- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की 02 योजनाओं के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-1462/6-1-1(मूल पत्रा0)/2015 दिनांक 28-10-2015 एवं पत्र सं0-888/7-1-1 (जि0यो0)/मूल पत्रा0/, 2015-16 दिनांक 06-08-2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की कालम 02 में अंकित योजनाओं के लिए कालम 03 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम 04 एवं 05 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 50.84 लाख (रूपये पचास लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

क्र0	**जनपद गाजीपुर की योजनाए**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद गाजीपुर की सेवराई स्थित प्राथमिक विद्यालय, सेवराई में मंच/रूम का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर।	32.89	32.89
2	जनपद गाजीपुर के चितामन पट्टी में राधा धाम मन्दिर के पर्यटन विकास की योजना।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर।	17.95	17.95
योग			**50.84**	**50.84**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) कार्यों की मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाओं का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(7) योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-09-पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या- 159/2015/3543 (1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, गाजीपुर।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड& गाजीपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी वाराणसी।
11- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in